राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

dUnzh; jkT; Qkez] ljnkjx< ¼jkt-½

फोन न0%–01509–238056, 238296 (ऑफिस), फैक्स:–01509–238027

पत्रांक–सी.एस.एफ./सर./ 35 /कृषि/2015–16–2567 दिनाँक:– 05.08.2015

fufonk&lg&fuykeh lpuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों/जलाशयों को मछली पालने व बेचने हेतु निविदा–सह–निलामी नियम के अन्तर्गत 2 वर्ष 2015–16 व 2016–17 (अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017) की अवधि हेतु तथा फार्म में स्थित पानी के गडढों से सिर्फ मछली पकडने का ठेका वर्ष 2015–16 में 31 मार्च 2016 की अवधी हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है ।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराई	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
6	फार्म प्रक्षेत्र खण्ड 4 व 5 में पानी के गडढों में मछली पकडने हेतु				रू025000.00 (रू0पचीस हजार मात्र)

उपरोक्त जलाशयों में मछली बीज डालना,पालने एवम् पकड़ने का ठेका 2 वर्ष 2015–16 व 2016–17(अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017 तक) के लिये देने हेतू तथा फार्म में स्थित पानी के गडढों से सिर्फ मछली पकडने का ठेका वर्ष 2015–16 में 31 मार्च 2016 की अवधी हेतु निविदायें दिनांक 24.08.2015 तक दोपहर 1.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेगे तथा दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 24.08.2015 को अपरान्ह 3.30 बजे खुली बोली निलामी प्रक्रिया के पश्चात् टेण्डर खोली जाएगे। इच्छुक व्यक्ति/समूह/फर्म आदि निविदा–सह–निलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित है।

नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र(टेण्डर फार्म) किसी भी कार्य दिवस में रू0 200/– देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किये जा सकतें है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है। परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू0 200/– का बैंक ड्राफ्ट लगाकर जमा करना होगा । प्रत्येक ठेके के लिये उपरोक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ***jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM] ljnkjx<] dk uke lsjrx<]** में देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा । निलामी की खुली बोली में भाग लेने के लिये निलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशी का डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म पर नियम व शर्तों के अनुसार पैन कार्ड,पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करवाना होगा।

ukV %& ;fn fdlh dkj.ko'k fnukd 24-08-2015 dks fufonk lg&fuykeh esa Bsdk ugh gksrk gS rks iqu% fnukd 08-09-2015 dks fufonk lg&fuykeh mijksDr le;kuqlkj gksxhA

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM
¼Hkkjr ljdkj dk laLFkku½
dsUnzh; jkT; QkeZ] ljnkjx< ¼jkt-½

QkeZ esa iDdh fMXxh o dPph fMXxh @tyk'k;ksa esa eNyh ikyu o cspus ds fy, fufonk&lg&uhykeh gsrq fu;e o 'krsZ

1. केंन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित जलाशयों / कच्ची–पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 5 तक का 2 वर्ष की अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017 तक का ठेका निश्चित किया गया है तथा ठेकर न0 6 के लिए सिर्फ मछली पकडने का ठेका निलामी दिनांक से 31 मार्च 2016 तक का निशचित किया गया है। ठेके पर देने हेतु जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक / चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
6	फार्म प्रक्षेत्र खण्ड 4 व 5 में पानी के गडढों में मछली पकडने हेतु				रू025000.00 (रू0पचीस हजार मात्र)

2. प्रत्येक ठेके के लिये निर्धारित धरोहर राशि का डी0 डी0 जो ***jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM] ljnkjx< ds uke ls] ljnkjx<** देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
3. धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
5. मछली पालन का कार्य ठेका न01 से 5 तक की अवधी 2 वर्ष (अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017 तक) तथा ठेका न06 के लिए वर्ष 2015–16 की अवधी 31 मार्च 2016 के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित जलाशय / जलाशयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
6. ठेका न0 1 से 5 तक सफल बोलीदाता / निविदादाता की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि लौटाई जायेगी तथा ठेका न0 6 के लिए 25% राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी शेष राशि निलामी दिनांक से एक माह के अन्दर जमा करवानी होगी ।
7. सफल निविदा / बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभुति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदा / बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र / ईमेल मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने / रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा–पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा–पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकडने हेतु दाखिल नही होगा।

12. डिग्गियों में मछली का बीज डालने, पालन–पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये जलाशयों/तलाबों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप,आग जलाना,मवेशी पालना,कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेगीं।
14. यदि मछली पकडने पर टैक्स/चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/ भुगतान ठेकेदार को स्वंय ही अपने खर्च पर करना होगा।
15. डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतयः डिग्गीयों में संचयित पानी में से ऊपर से लगभग 10 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगाा। शेष बचा हुआ पानी 5 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 5 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये जलाशयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायलय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मतस्य बीज संग्रहण,मछली पालन एवम पकड़ना,मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होगें। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकडने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने,घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है।ऐसा करने पर वे स्वंय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
28. रू.100/– के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
29. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि0 के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनो पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु सूरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

?kk"k.kk&

मैनें फार्म में मछली ठेके की निविदा–सह–निलामी की शर्तें पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैनें अपनी रजामन्दी से,बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास मे किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर

स्थान.....................   दिनांक..

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] lJnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

dUnh; jkT; Qke] lJnkjx<

fufonk i|i=

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सर./35/कृषि/2015– दिनांक .... निविदा भेजने हेतु पताः– सहायक महाप्रबन्धक(फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांकः– 24.08.2015 स्थानः– केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ

विषयः– केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 5 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017 तथा ठेका न0 6 के लिए निविदा सह निलामी दिनांक से 31 मार्च 2016 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :–...
2. पिता/पति का नाम :–...
3. पूरा पता :–...
   ....
   ....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :–..
5. पैन नम्बर :–.......................................(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि)..
   (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रू.200/–) रसीद संख्या.......................दिनांक.........................अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..दिनांक.........................

fufonk jkf'k iLrko¼V.Mj vkQj)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 5 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि निविदा–सह–निलामी दिनांक से 31 मार्च 2017 तथा ठेका न0 6 के लिए निविदा सह निलामी दिनांक से 31 मार्च 2016 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रमशः2

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक / चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या	ठेका अनुसार निविदा मुल्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रूपयों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	
6	फार्म प्रक्षेत्र खण्ड 4 व 5 में पानी के गडढों में मछली पकडने हेतु				

/kjkgj jkf’k dk fooj.k%&

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये / किये जाने वाली राशि का विवरणः—

ठेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)
1			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
6			रू0 25000.00 (रू0पचीस हजार मात्र)

(mijksDr fMek.M Mªk¶V layXu fd;s tk;s)

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य है।शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

....

....

....

....

मो0 न0...